-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 17.04.2025

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

- **ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत त्वरित एवं निष्पक्ष विवेचना, प्रभावी अभियोजन एवं पैरवी के फलस्वरुप थाना गिरवां क्षेत्र में वर्ष-2020 में पुत्री की हत्या करने वाली माँ को दिलाई गई आजीवन कारावास व 10 हजार रुपये जुर्मानें की सजा।**

विवरण– पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान **“ऑपरेशन कन्विक्शन”** के तहत कड़ी सजा दिलाये जाने के क्रम में पुलिस अधीक्षक बांदा श्री अंकुर अग्रवाल के कुशल निर्देशन में वर्ष-2020 में थाना गिरवां क्षेत्रान्तर्गत पुत्री की हत्या करने वाली माँ को आजीवन कारावास व जुर्माने से दण्डित कराया गया। गौरतलब हो कि थाना गिरवां क्षेत्रान्तर्गत ग्राम खुरहण्ड की रहने वाली सरोज सिंह पत्नी राममूरत सिंह द्वारा दिनांक 30.04.2020 को अपनी 14 वर्षीय पुत्री की हत्या कर दी गई थी। इस सम्बन्ध में मृतका के चचेरे भाई भवानी प्रताप सिंह की तहरीर पर थाना गिरवां में मु0अ0सं0 84/20 धारा 302/201 भादवि पंजीकृत किया गया था जिसकी विवेचना निरीक्षक शशि कुमार पाण्डेय द्वारा सम्पादित की गयी। विवेचक द्वारा प्रभावी विवेचना करते हुए आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया था। लोक अभियोजक श्री सुशील तिवारी द्वारा मा0 न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई साथ ही कोर्ट मोहर्रिर शिप्रा सचान तथा पैरोकार मुख्य आरक्षी रहीश कुमार के अथक प्रयासों से अभियुक्ता को मा0 न्यायालय बांदा द्वारा आजीवन कारावास व 10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया।

अभियुक्ता-

1. सरोज सिंह पत्नी राममूरत सिंह निवासी खुरहण्ड थाना गिरवां जनपद बांदा।

अभियोजक
श्री सुशील तिवारी

विवेचक
निरी0 श्री शशि कुमार पाण्डेय

कोर्ट मोहर्रिर
शिप्रा सचान

पैरोकार
मु0आ0 रहीश कुमार